d`f"k uhfr& 2013 ,d nf"V e

e`nk i:cU/ku

- गैर कृषि कार्यों में कृषि योग्य भूमि के परिवर्तन को रेाकने हेतु दूर संवेदी तकनीक की सहायता से अनुपजाऊ भूमि एवं उपजाऊ भूमि का चिन्हांकन।
- संसाधन संरक्षण तकनीकों को प्रोत्साहित कर आगत कुशलता यथा– उर्वरक एवं सिंचाई को भू–समतलीकरण द्वारा शस्य संरक्षण पद्धतियों में सुधार करना।
- रीपर हारवेस्टर जैसे कृषि यंत्र के प्रयोग को प्रोत्साहत करना।
- सूक्ष्म तत्व प्राथमिक एवं द्वितीय विश्लेषण हेतु मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण।
- राज्य कृषि विश्व विद्यालयों, कृषि विभाग, सहकारी एवं निजी क्षेत्रों के मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के बीच समन्वय को सुदृढ़ कर धन एवं समय की बचत एवं दोहराव को रोकना।
- भूमि सुधार हेतु जिप्सम, कागज मिलों का अपशिष्ट i:l eM (मैली) इत्यादि कृषकों को वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराना।
- व्यवसायिक केचुआ उत्पादन एवं वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना में यथोचित सहायता/अनुदान उपलब्ध कराना।

okrkoj.k i:cU/ku&

- बदलती जलवायविक दशाओं के सम्बन्ध में अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों के विकास के लिए विलुप्त प्रायः जनन द्रव्यों का प्रयोग एवं संरक्षण प्रदान करना।
- जलवायु परिवर्तन एवं कृषि पर उसके प्रभाव को प्रभावित जनमानस के बीच जानकारी के संग्रहण एवं साझा करने हेतु पद्धति का विकास किया जायेगा।

fuos'k i:cU/ku&

- स्थानीय स्तर पर बीजों, जैव उर्वरक, जैव रसायन तथा जैव नियंत्रण का उत्पादन।
- कृषि निवेशों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु एकल खिड़की व्यवस्था पद्धति को बनाना।

➢ cht&

- प्रमाणित बीजों के उत्पादन हेतु निजी संस्था, बीज ग्रामों तथा कृषक समूहों को प्रोत्साहित करना।
- बीज विधायन केन्द्रों की स्थापना।
- संकर बीजों के उत्पादन एवं इसके उपयोग हेतु प्रेरित करना।
- सूखा एवं बाढ़ जैसी परिस्थितियों हेतु बीज बैंक की स्थापना।

➢ moZjd&

- सूक्ष्म तत्वों, dLVekbTM rFkk QkVhQkbM शक्तिवर्द्धक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- जैव उर्वरकों एवं जैव खाद के उपयोग को बढ़ावा देना।
- जैव उत्पादों के प्रमाणन में सहयोग हेतु जैविक कृषि संघों को बढ़ावा देना।
- जैव उर्वरकों के उत्पादन हेतु प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना।

➢ d`f"k j{kk&

- कीट प्रकोपों के संबंध में पूर्व सूचना उपलब्ध कराने के लिए नियमित पेस्ट सर्विलान्स की व्यवस्था।
- आई0पी0एम0 को बढ़ावा देना।
- गुणवत्तायुक्त जैव एजेन्ट एवं जैव रासायनिक उत्पादों के उत्पादन हेतु प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण।

➢ df"k ;=&

- बहु उपयोगी कृषि यंत्रों के विकास को बढ़ावा देना।
- प्रक्षेत्र संयत्रों के स्थानीय निर्माण को प्रोत्साहन।
- जनपद/स्थानीय स्तर पर कृषि यंत्रों के उत्पादन, वितरण एवं मरम्मत हेतु निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना।
- dLVe gk;j सेवाओं को प्रोत्साहन

df"k fofo/khdj.k&

- उच्च मूल्य वाली फसल प्रजातियों के समावेशन द्वारा फसल पद्धति का विविधीकरण।
- पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, औद्यानिकी, मत्स्य पालन, रेशम, जल खेती, मशरूम उत्पादन आदि उद्यमों के द्वारा कृषि पद्धति का विविधीकरण।
- क्षमता निर्माणद्वारा एग्री बिजनेस गतिविधि, फसल पश्चात प्रबन्धन एवं मूल्य वर्द्धन का सुदृढ़ीकरण।

QlykRrj izcU/ku&

- कृषि उत्पादों के सामयिक समय पर अधिकतम मूल्य प्राप्त करने हेतु भण्डारण एवं विपणन की सुविधा ग्राम स्तर पर कृषकों को उपलब्ध कराना।
- राज्य कृषि विपणन परिषद द्वारा महत्वपूर्ण विपणन केन्द्रों पर मुख्य भण्डारण सुविधाओं का विकास कर उत्पादों के वैज्ञानिक भण्डारण तथा इसके उचित मूल्य पर विक्रय की अवधि तक सुविधा उपलब्ध कराना।
- सब्जियों तथा फलों के यथोचित छटाई तथा पैकिंग हेतु कृषि समूहों तथा कृषकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

izlkj dk lqn<hdj.k ,oa df"k ijke'kZ lsok;sa&

- मुद्रिका मार्ग (रिंग रोड) अवधारणा पर आधारित ग्रामीण विकास हेतु एकीकृत कृषि पद्धति प्रतिमानों की स्थापना।
- मोबाइल सेवाओं को प्रारम्भ कर त्वरित गति से तकनीकी विस्तार, मौसम आधारित कृषि परामर्शों तथा विपणन सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

tkf[ke izcU/ku&

- प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने हेतु मौसम आधारित बीमा योजना का सभी जनपदों में विस्तार।
- प्रतिकूल जलवायुविक परिस्थितियों में बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु बीज बैंकों की स्थापना यथा–बुन्देलखण्ड जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र एवं बाढ़ प्रभावित पूर्वोत्तर भाग।
- जी0आई0एस0 आधारित सूचना प्रणाली को विकसित करना तथा फसल प्रबन्धन में उसका उपयोग।

df"k f'k{kk ,oa 'kks/k&

- उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का सुदृढ़ीकरण।
- संकाय के पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण विकास हेतु देशी एवं विदेशी शैक्षणिक तथा शोध संस्थानों के साथ नेटवर्किंग एवं सहभागिता को विकसित एवं सुदृढ़ किया जायेगा तथा छात्रों को संयुक्त शोध हेतु बढ़ावा दिया जायेगा।
- राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
- क्षेत्रीय शोध केन्द्रों पर क्षेत्र आधारित विशेष शोधों की सुविधा का सुदृढ़करण।
- आधारभूत सुविधाओं विशेष रूप से जैव तकनीकी, सूचना तकनीकी, खाद्य प्रसंस्करण, आणुविक जीव विज्ञान, izfl tu Qkfeax] नैनो तकनीकी इत्यादि को कृषि विश्वविद्यालयों में प्रारम्भ करना।
- निजी क्षेत्रों को उच्चतर शोध में प्रोत्साहित किया जायेगा जैसे–जी0एम0 फसलें तथा सूक्ष्म तकनीकी।
- उत्पादन एवं उत्पादन क्षमता के अन्तराल को कम करने, कृषि विविधीकरण द्वारा कृषि प्रतिमान प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध, कृषि यंत्रीकरण, फसलोत्तर प्रबन्धन, लागत उपादेयता तथा मूल्य संवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन, कृषि व्यवसाय, विश्व व्यापार संगठन तथा अन्य उभरते मुद्दों पर शोध को बढ़ावा।
- डिप्लोमा/सर्टिफिकेट एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना।

df"k uhfr&2013 d: vUrxZr df"k izkRlkgu&

- प्रत्येक जनपद में बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण एवं शीत भण्डार गृहों की सुविधा की स्थापना हेतु निजी क्षेत्रों को भू मूल्य को छोड़कर पूजी निवेश पर अनुदान प्रदान कर प्रोत्साहित करना।
- कृषि निर्यात में संवर्द्धन हेतु छटाई मानकीकरण, पैकिंग इकाईयों एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के साथ अवशीतन श्रंखला की स्थापना।
- कृषकों एवं दुग्ध कारीगरों के लिए आहार, प्रजनन तथा स्वास्थ्य प्रबन्धन पर डिप्लोमा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना।
- क्षेत्र विशेष की ब्रीड को वीर्य उत्पादन विकास एवं अनुवांशिक सुधार की सुविधाओं को प्रोत्साहन।
- निजी क्षेत्र में हेचरी एवं नर्सरी की स्थापना को बढ़ावा।
- निजी क्षेत्र में मत्स्य चारा उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहन।
- औद्यानिक कृषकों से विपणन समझौता के लिए निजी उद्यामियों तथा खाद्य प्रसंस्करण कम्पनियों को प्रोत्साहन।
- सहकारी समितियों कृषक उत्पादक समूह उत्पादकों को प्रोत्साहित करना तथा फल, फूल, मसाले की थोक बाजार को विकसित करना।
- कृषि प्रसंस्करण उद्योग के संवर्द्धन हेतु उत्पादक सहकारिताओं तथा निगमित क्षेत्र के मध्य साझेगीदारी को बढ़ावा।
- कृषि उत्पादों के मूल्यों की अनिश्चिता के जोखिम को न्यून करने हेतु वायदा बाजार को प्रोत्साहित करना तथा जिन्स विनिमय की स्थापना।